भारत का राजपत्र : अप्रैल 1, 2017/चैत्र 11, 1939

431

organization or department of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016, i.e., the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised grade pay or scale of pay into one level with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the posts for which that level in the pay matrix is the normal replacement level without any up-gradation.

[F.No. A-12018/2/2014-Admn. I] LALIT GROVER, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1964, जहां तक िक उनका संबंध प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी) के पद से है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (चीनी अभियांत्रिकी सहायक प्रोफेसर) भर्ती नियम 2002 और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, चीनी अभियांत्रिकी में प्रवक्ता, सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) भर्ती नियम 2004 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) के भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), प्रवक्ता (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) भर्ती नियम, 2017 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अ

वेत रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का नाव नहां होंगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पंद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. प्रोफेसर (चीनी	03*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रुपये
अभियांत्रिकी)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	राजपत्रित, अननुसचिवीय	
	किया जा.संकता है।		

		the state of the s
चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य
ं प्रमाणिया समय ।	के लिए आयु सीमा	अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मैघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि।	अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में अथवा अभियन्ता संस्थान के एसोसिएट मैम्बर (ए एम आई ई) से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री; (ii) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा चीनी अभियांत्रिकी में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की एसोसिएटशिप अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री पूर्ण करने के बाद वसन्तदादा शूगर इंस्टीट्यूट, पुणे से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; एवं (iii) यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी अथवा चीनी अभियांत्रिकी में डिग्री स्तर पर दस वर्ष का अनुसंधान अथवा प्रयोगात्मक या शिक्षण अनुभव। बांद्यनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी के संगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) आधनिक चीनी संयंत्र का डिजाइन अथवा प्रचालन या
		मेता यागोग के विवेकानसार वहां इसके लिए जी कारण हैं उन्हें लेखबर



		करके, शिथिल की जा सकती हैं।
		टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के
1.		विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
		अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा
1		आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के
		लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त
		संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां इसके लिए जो कारण हैं
		उन्हें लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं।

	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या
	व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने
	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या		वाले पदों की प्रतिशतता
ļ	नहीं		
	(8)	(9)	(10)
	आयु: नहीं	सीधी,भर्ती के लिए एक वर्ष	(i) 66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की
	शैक्षिक अर्हताएं: जी हां		स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधिक संविदा सहित); दोनों
			के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
-L			(ii) सीधी भर्ती द्वारा 33.33 प्रतिशत

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी
प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	संरचना
(11)	(12)
प्रोन्नति :	1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति
वेतन मैट्रिक्स मे 67700-208700 रूपये के स्तर 11 में दस वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी)।	पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अईकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा	(1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष
है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी	(2) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली	विभाग - सदस्य
है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि	(3) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य
सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):	(4) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य
केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के	
उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी	2. समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति
अथवा स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनों के अधिकारी,- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों ; अथवा	(स्थायी करने पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
	(1) सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक
(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 78800-209200 रूपये के स्तर	वितरण विभाग - अध्यक्ष
12 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की	(2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं
The state of the s	सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य



सेवा की हो।

- (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 67700-208700 रूपये के स्तर 11 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो।
- (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: विभागीय अधिकारी जो पोषक प्रवर्ग में पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैंडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम् आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)

पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	(1)	(2)	(3)	(4)
	2. सहायक प्रोफेसर	04*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह	
	(चीनी अभियांत्रिकी)	*कार्यभार के आधार पर	'क' राजपत्रित,	स्तर 11 67,700-2,08,700 रूपये
		परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	07,700-2,00,700 (44
,				

(5)	(6)	(7)
चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार	अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में अथवा
	सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच तक वर्ष की छूट) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए	अभियन्ता संस्थान के एसोसिएट मैम्बर (ए एम आइ ई) से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री;
	निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल	(ii) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा चीनी अभियांत्रिकी में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की एसोसिएटशिप अथवा स्नातकोत्तर
	प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख	डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री पूर्ण करने के बाद वसन्तदादा शूगर इंस्टीट्यूट, पुणे से यांत्रिक
	डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चुम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन,	अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम	(iii) यात्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी कार्य में जिम्मेदार पद का 4 वर्ष का प्रयोगात्मक अथवा अनुसंधान या



	तिथि।	शिक्षण या परामर्शी अनुभव जिसमें आधुनिकतम चीनी निर्माण
	int at	
		संयंत्र की डिजाइनिंग, स्थापना और प्रचालन शामिल हो।
-		वांछनीय:
		(i) अभियांत्रिकी के संगत विषय पर स्नातकोत्तर डिग्री;
		(ii) आधुनिक चीनी संयंत्र का डिजाइन अथवा प्रचालन या
		स्थापना करने का एक वर्ष का अनुभव।
		टिप्पण 1: अईताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ
		लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार वहां इसके लिए जो कारण हैं
		उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती हैं।
		टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के
		विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
		अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक
		सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके
		लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने
		वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध
		होने की संभावना नहीं है वहां इसके लिए जो कारण हैं उन्हें
		लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं।

	(8)		(9)	(10)
	आयु : नही गैक्षिक अर्हताएं : हां जी	· .	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
				की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधिक संविदा
				सहित); (ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत
L				(ग) याजा मता श्रार् ७७ श्रावसत

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में 56100-177500 रूपये के स्तर 10 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रवक्ता (चीनी इंजीनियरिंग) अथवा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक अथवा विद्युत)।

टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नित प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनों के अधिकारी,-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा

(12)

- 1. प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (1) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य
- (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य
- 2. समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (1) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक

वितरण विभाग

-अध्यक्ष

- (2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा
- (ऽ) ।नदशक, राष्ट्राय शक्

संस्थान, कानपुर

-सदस्य



- (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 56100-177500 रूपये के स्तर 10 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा की हो
- (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: विभागीय अधिकारी जो पोषक प्रवर्ग में पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।


टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैंडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13) पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. प्रवक्ता (चीनी	01*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10
अभियांत्रिकी)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	56,100-1,77,500 रूपये
	किया जा सकता है।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों	अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में अथवा अभियन्ता संस्थान के एसोसिएट
	अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए	मैम्बर (ए एम आइ ई) से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री;
	निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	(ii) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा चीनी अभियांत्रिकी में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की एसोसिएटशिप अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक
	नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल	अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री पूर्ण करने के बाद वसन्तदादा शूगर इंस्टीट्यूट, पुणे से यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और
	प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के	(iii) यांत्रिक अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी या शूगर अभियांत्रिकी दो वर्ष का प्रयोगात्मक अथवा अनुसंधान या शिक्षण या परामर्शी अनुभव जिसमें आधुनिकतम चीनी निर्माण संयंत्र की
	उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि।	डिज़ाइनिंग, स्थापना और प्रचालन शामिल हो।




(8)	(9)	(40)
 लागू नहीं।	एक वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा।
		दिप्पण 1: जब रिक्ति भर्ती अधिकारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अविध के लिए अन्य परिस्थितियों के अधीन कार्य से दूर होने के कारण उत्पन्न हुई हो तब इसे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है जो (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारण किए हों; अथवा
		(ii) 47,600-1,51,100 रुपये के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 मे नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड मे दो वर्ष की सेवा की हो अथवा मूल संवर्ग विभाग में समतुल्य हों; और
		(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके
		अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य <i>कैडर-बाह्य</i> पद पर प्रतिनियक्ति की
		अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
		टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए
		अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	(11)	(12)	
	लागू नहीं।	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने हेत्) जिसमे निम्नलिखित सदस्य
		होंगे:-	
		(1) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	- अध्यक्ष
		(2) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	- सदस्य
L		(3) निदेशकँ/उप सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,	- सदस्य

	3° 6		(40)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 			(13)		
•	· ₹	ांघ लोक सेवा आयं	ोग से परामर्थ :	करना आवश्यक है।	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	गरना जानस्यमा हा	

	•		
(1)	(2)	(3)	(4)
4. सहायक अभियन्ता	03*(2017)**	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10
(विद्युत/यांत्रिक	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन		56,100-1,77,500 रुपये
अभियांत्रिकी)			



(5)	(6)	(7)
(5) चयन	(6) 35 अधिक से वर्ष नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक छूट) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल	अनिवारं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री [सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी) के लिए] और विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री [सहायक अभियन्ता (विद्युत) के लिए] (ii) किसी मान्यता प्राप्त संगठन अथवा संस्थान में डिग्री स्तर पर दो वर्ष का शिक्षण अनुभव। वांद्यनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल्य अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी अथवा विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार वहां इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती हैं।
	, ,	लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
	सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि।	अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं।

	(8)	(9)	(10)
	नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए	1. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक);
		एक वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने की
			स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधिक संविदा सहित);
-		,	(ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत
."			2. सहायक अभियन्ता (विद्युत);
			100 प्रतिशत संयुक्त विधि द्वारा
-			[प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) जमा प्रोन्नति]

(11)	(12)
1. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक): े	1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 के स्तर 6 के वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक	विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
अभियांत्रिकी) अथवा फोरमैन (बॉयलर) अथवा फोरमैन (यांत्रिक), जिन्होंने उक्त	(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो।	- अध्यक्ष



टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अईकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्तित प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनो के अधिकारी;-

- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा
- (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 47600 151100 रुपये के स्तर 8 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: विभागीय अधिकारी जो पोषक प्रवर्ग में पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सिहत) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1. सहायक अभियन्ता (विद्युत) के लिए:

संयुक्त विधि [प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) + प्रोन्नति]:

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठन के अधिकारी,-

- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा
- (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 47600 -151100 रुपये के स्तर

- (2) संयुक्त सचिव (शर्करा),खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य
- (3) निदेशक/उप सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

सदस्य

- (4) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर
- 2. समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (1) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागः - अध्यक्ष
- (2) निदेशक/उप सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदर
- (3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

- सदस्य

8 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो।

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: विभागीय फोरमैन (विद्युत) जो ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपये) के स्तर 6 में होंगे उनके मामले में पद के चयन के मामले में प्रोन्नित हेतु प्रतिनियुक्ति सहित विचार किया जाएगा, पद के लिए उनका चयन प्रोन्नित समझा जाएगा।


टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी)	02*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400-112400 रुपये

Ċ,	*1		
	(5)	(6)	(7)
	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:
		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान
	e de la companya de l	आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियो के लिए पाँच	से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; और
		की तक वर्ष छूट)	
		टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक	(ii) चीनी उद्योग में अनुसंधान और विश्लेषण के क्षेत्र में
÷	•	तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि	दो वर्ष का अनुभव।
		असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	
		नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य	वांछनीय:
-		का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से
		स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन,	यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री।
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के	
		उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि।	टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
			में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वहां इसके लिए
-			जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा
			सकती हैं।



٠.	(6)	(9)	(10)
-	नहीं ।	सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की स्थिति
			में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधिक संविदा सहित);
ĺ			(ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में 29200-92300 रूपये के स्तर 5 में छ: वर्ष की नियमित सेवा वाले अनुसंधान सहायक (अभियांत्रिकी)।

(11)

टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध मे भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित):

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनो के अधिकारी,-

- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों: अथवा
- (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 29200-92300 रुपये के स्तर 5 में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की सेवा
- (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: विभागीय अधिकारी जो पोषक प्रवर्ग में पदोन्नति की सीधी रेखा में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिपण्ण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

- 1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (1) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर
- (2) निदेशक/उप सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सदस्य
- (3) प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य
- 2. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (1) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर,

- (2) निदेशक/उपसचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
- (3) सदस्य प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर _सदस्य

(13)संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

> [सं. ए-12018/12/2010-एस ए] राजीव महेंदू, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 23rd March, 2017.

- 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules 1964, in so far as they relate to the post of Professor (Sugar Engineering), the National Sugar Institute, Kanpur (Assistant Professor of Sugar Engineering) Recruitment Rules, 2002 and the National Sugar Institute, Kanpur, Lecturer in Sugar Engineering, Assistant Engineer (Electrical/Mechanical) and Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) Recruitment Rules, 2004, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Sugar Engineering), Assistant Professor (Sugar Engineering), Lecturer (Sugar Engineering), Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical) and Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) in the National Sugar Institute, Kanpur; the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely:-
- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Engineering), Assistant Professor (Sugar Engineering), Lecturer (Sugar Engineering), Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical Engineering) and Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale. The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, other backward classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay
			scale
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Professor (Sugar	3* (2017)	General Central Service,	Level 13 in the pay matrix
Engineering).	*Subject to variation	Group 'A' Gazetted, Non-	Rs.1,18,500-2,14,100
	dependent on workload.	Ministerial.	

Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
selection or	rigo mini for direct recruits	Esqueational and other quantications required for direct recruits.
non-selection		
post		
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding 50 years.	Essential:
		(i) Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering
*	(Relaxable for Government	from a recognised University or Institute or Associate Member
	servants upto five years' in	of institution of Engineers (AMIE) in Mechanical Engineering
	accordance with the	or Electrical Engineering;
	instructions or orders issued	(ii) Associateship of National Sugar Institute in Sugar Engineering
	by the Central Government).	awarded by National Sugar Institute or post-graduate diploma
		in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from
	Note: The crucial date for	Vasantdada Sugar Institute, Pune after completing degree in
	determining the age-limit	Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a
	shall be the closing date for	recognised University or Institute; and
	receipt of applications and not	(iii) ten years' research or practical or teaching experience at degree
	the closing date prescribed for	level in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or
	those in Assam, Meghalaya,	Sugar Engineering.
	Arunachal Pradesh, Mizoram,	
	Manipur, Nagaland, Tripura,	Desirable:
المستمرين الما	Sikkim, Ladakh Division of	(i) Post-Graduate Degree in relevant branch of a Engineering from a
· .	Jammu and Kashmir State,	recognised University or Institute;
	Lahaul and Spiti District and	
	Pangi Sub-Division of	(ii) three years' experience of designing or operation or erection of
	Chamba District of Himachal	modern sugar plant.
	Pradesh, Andaman and	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the
	Nicobar Islands and	Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in
	Lakshadweep.	writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
1- 2		Note 2: The qualification(s) regarding experience are relaxable at
		the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons
		to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the
		Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of
		selection, the Union Public Service Commission is of the opinion
		that sufficient number of candidates from these communities
		possessing the requisite experience are not likely to be available to
		fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
promotees (8)	(9)	(10)
Age: No.	One year for direct	(i) 66.67 per cent. by promotion failing which by
Educational qualifications: Yes	recruits.	deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment;
		(ii) 33.33 per cent. by direct recruitment.

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 1, 2017/CHAITRA 11, 1939 [PART II—SEC. 3(i)] In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, If a Departmental Promotion committee exists, what's grades from which promotion or deputation/absorption is to be is its composition made (12)Promotion: Group 'A' Departmental Promotion Committee Assistant Professor (Sugar Engineering) with ten years' regular (for considering promotion) consisting of service in level 11 in the pay matrix Rs.67700-208700. (1) Chairman/Member, Union Public Note: Where juniors who have completed their qualifying or Service Commission – Chairman eligibility service are being considered for promotion, their (2) Secretary, Department of Food seniors shall also be considered provided they are not short of the and Public Distribution - Member requisite qualifying or eligibility service by more than half of (3) Joint Secretary (Sugar), Department such qualifying or eligibility service or two years', whichever is of Food and Public Distribution Member less, and have successfully completed their probation period for Director, National Sugar promotion to the next higher grade along with their juniors who Institute, Kanpur Member have already completed such qualifying or eligibility service. 2. Group 'A' Departmental Confirmation Deputation (including short-term contract): Committee (for considering confirmation) Officers of the Central Government or State Governments or consisting of: Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Secretary, Department of Food (1) Government or autonomous bodies or statutory organisations,and Public Distribution - Chairman Joint Secretary (Sugar), Department (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre of Food and Public Distribution - Member or department; or Director, National Sugar (ii) with five years' service in the grade rendered after Institute, Kanpur - Member appointment thereto on a regular basis in level 12 in the pay matrix Rs.78800-209200 or equivalent, in parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix Rs.67700-208700 or equivalent, in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract), including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years'.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.

(13

Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.



(1)	Tax	·	
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Professor	1	General Central Service,	Level 11 in the pay matrix
(Sugar	*Subject to variation dependent	Group 'A' Gazetted, Non-	Rs.67,700-2.08,700.
Engineering).	on workload.	Ministerial.	

(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding 40 years.	Essential:
	(Relaxable for Government	i) Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a
	servants upto five years' in	recognised University or Institute or Associate Member of Institution of
	accordance with the	Engineers (AMIE) in Mechanical Engineering or Electrical
	instructions or orders issued by	Engineering;
	the Central Government).	(ii) Associateship of National Sugar Institute in Sugar Engineering
		awarded by National Sugar Institute or post-graduate diploma in Sugar
	Note: The crucial date for	Engineering from Vasantdada Sugar Institute, Pune after completing
	determining the age-limit shall	degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a
	be the closing date for receipt	recognised University or Institute; and
	of applications and not the	
	closing date prescribed for	iii) four years' practical or research or teaching or advisory experience
. ***	those in Assam, Meghalaya,	of Mechanical Engineering or Electrical Engineering work in a
	Arunachal Pradesh, Mizoram,	responsible capacity, involving designing, erection and operation of up-
	Manipur, Nagaland, Tripura,	to-date sugar manufacturing plant.
	Sikkim, Ladakh Division of	
	Jammu and Kashmir State,	Desirable:
	Lahaul and Spiti District and	(i) Post-graduate degree in relevant branch of Engineering;
	Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,	(ii) one year experience of designing or operation or erection of
	Andaman and Nicobar Islands	modern sugar plant.
	and Lakshadweep.	
	and Lakshadweep.	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union
		Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in
	^	the case of candidates otherwise well qualified.
		Note 2: The malification (a) and the second of the second
		Note 2: The qualification(s) regarding experience are relaxable at the
		discretion of Union Public Service Commission, for the reasons to be
		recorded in writing, in the case of candidates belonging to the
		Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection,
		the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient
		number of candidates from these communities possessing the requisite
	in the state of th	*experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved
	マー・ス・ペース アンバー・コーネース・コート	for them.

(8)	(9)	(10)
Age: No.	One year for direct recruits.	(i) 50 per cent. by promotion failing
Educational qualifications: Yes.		which by deputation (including short
*		term contract);
		(ii) 50 per cent. by direct recruitment.

(11)	(12)
Promotion:	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for
Lecturer (Sugar Engineering) or Assistant Engineer	considering promotion) consisting of:-
(Mechanical or Electrical) with five years' regular service	
in level 10 of pay matrix Rs.56100-177500.	(1) Secretary, Department of Food and
	Public Distribution -Chairman
Note: Where juniors who have completed their qualifying	

(16)

or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,-

(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 in the pay matrix Rs.56100-177500 or equivalent, in parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
- Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.
- Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

- (2) Joint Secretary (Sugar), Department of
 Food and Public Distribution -Member
- (3) Director, National Sugar Institute,
 Kanpur -Member
- 2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-
- (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution

- Chairman

Joint Secretary (Sugar),Department of Food and PublicDistribution

-Member

(3) Director, National Sugar Institute, Kanpur

-Member

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

1	(1)	(2)	(3)	(4)
ı	3. Lecturer (Sugar Engineering).	1* (2017)		
1		*Subject to variation	Service, Group 'A'	Rs.56,100-1,77,500.
	,	dependent on	Gazetted, Non-	
		workload.	Ministerial.	

(5)	(6)	(I)
Not	Not exceeding 35 years.	Essential:
applicabl		(i) Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering
1.**	(Relaxable for Government	from a recognised University or Associate Member of Institution of
	servants upto five years in	Engineers (AMIE) in Mechanical Engineering or Electrical
	accordance with the	Engineering;



instructions or orders iss	ued	by
the Central Government)	. 82	

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

- (ii) Associateship of National Sugar Institute in Sugar Engineering awarded by National Sugar Institute or Post Graduate Diploma in Sugar Engineeringfrom Vasantdada Sugar Institute, Pune after completing degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a recognised University or Institute; and
- (iii) two years' research or practical or Advisory teaching experience in Mechanical Engineering or Electrical or Sugar Engineering.

Desirable:

- i) A Post Graduate Degree in relevant branch of Engineering from a recognised University or Institute;
- (ii) one year experience of designing or operation of erection of modern sugar plant.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	By direct recruitment:
		Note: Vacancy caused by incumbent being away on deputation or long illness
		or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more
		may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or
		State Governments or Union territory Administrations,-
, , , ,		(a)(i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department;
		or .
		<u> </u>
		(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto
		on a regular basis in level 8 of the pay matrix Rs.47,600-1,51,100 or
		equivalent, in the parent cadre department; and
		(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for
		direct recruits under column (7).
		and
		Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-
	, :	cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some
	· 100	other organisation or department of the Central Government shall ordinarily
	* •	not exceed three years.
Territoria (Control of the Control o		Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including
		short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of
	1	receipt of applications.

	(11).	(12)		
	Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering	confirmation))
		consisting of -:	,	
. -		1. Joint Secretary (Sugar),		
		Department of Food and Public Distribution	- Chairmar	1
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. Director,		1.5
		National Sugar Institute, Kanpur	- Member	
		3. Director/Deputy Secretary,		
^		Department of Food and Public Distribution	- Member	



7.	 		3	4.				(1	(3)		1	1		1
	 	7.		Consu	ltation	with U	nion F	ublic	Service	Commi	ssion is	necess	ary.	Ŧ,

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Assistant Engineer	03*(2017)**	General Central Service,	
(Electrical/ Mechanical	*Subject to variation	Group 'A' Gazetted, Non-	Rs.56,100-1,77,500.
Engineering).	dependent on workload.	Ministerial.	
	** One post for Electrical		
	Engineering, two posts for		
	Mechanical Engineering.		

(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding 35 years.	Essential:
	(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Degree in Mechanical Engineering [for Assistant Engineer (Mechanical)] and degree in Electrical Engineering [for Assistant Engineer (Electrical)] from a recognised University or Institute; and
	Note: The crucial date for determining	(ii) two years' teaching experience at degree level in a
	the age limit shall be the closing date for	recognised organisation or Institute.
	receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam,	Desirable:
	Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Master's Degree in Mechanical Engineering or Electrical
g.	Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Engineering from a recognised University or Institute.
	Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.
=		Note 2: The qualification(s) regarding experience are
		relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the
		case of candidates belonging to the Scheduled Castes or
		the Scheduled Tribes if at any stage of selection the
		Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities
		possessing the requisite experience are not likely to be
		available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9))	(10)
No	One year for	direct recruits and	1. Assistant Engineer (Mechanical):
	promotees.	er e	(i) 50 per cent. by promotion failing which by
1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×	F	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	deputation (including short term contract);
			(ii)50 per cent. by direct recruitment.
1			
			2. Assistant Engineer [(Electrical):
			100 per cent. by composite method [deputation]
			(including short term contract) plus promotion].



(11)

 For Assistant Engineer (Mechanical): Promotion:

Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) or Foreman (Boiler) or Foreman (Mechanical) in level 6 of pay matrix Rs.35400-112400 with eight years' regular service in the grade and having three years' diploma in Mechanical Engineering from a recognised Board or Institute.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years', whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

Deputation (including short-term contract):
Officers of Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations.

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 of pay matrix Rs.47600-151100 or equivalent, in parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

2. For Assistant Engineer (Electrical):
Composite method [Deputation (including short term contract) plus promotion]:
Officers of the Central Government or State

(12)

- Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
- (1) Chairman/ Member,
 Union Public Service Commission

Chairman

(2) Joint Secretary (Sugar),
Department of Food and Public
Distribution

Member

(3) Director/ Deputy Secretary,
Department of Food and Public
Distribution

Member

(4) Director, National Sugar Institute, Kanpur

Member

- 2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-
- Joint Secretary (Sugar),
 Department of Food and Public Distribution

Chairman

(2) Director/ Deputy Secretary,
Department of Food and Public
Distribution

Member

(3) Director,National Sugar Institute, Kanpur

Member



Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,-

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 of pay matrix Rs.47600-151100 or equivalent, in parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental Foreman (Electrical) in the level 6 of pay matrix Rs.35400-112400 with eight years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case such person is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

			(13)			<u> </u>		
Consultation with	Union Public	Service Comm	ission is necessa	ary for appoi	ntment to the	post on each o	ccasion.	
onsultation with	Onion ruone	OCT VICE COMM.	IDDION IS MOTORS					

			(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
5. Senior	02* (2017)	General Central	Level 6 in the pay matrix	
Research	* Subject to		Rs.35400-112400.	
Assistant	variation dependent on the	Non-Gazetted, Non-		
(Mechanical	workload.	Ministerial.		A. Carlo
Engineering).				
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding 30 years.	Essential:
	(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Diploma in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and
	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed	(ii) two years' experience in the field of research and analysis in sugar Industry.



for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Desirable:

Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute.

Note: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)
No.	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50 per cent. by promotion failing which by deputation (including short term contract)
		(ii) 50 per cent. by direct recruitment,

(11)	(12)
Promotion:	1. Group 'B' Departmental Promotion Committee
Research Assistant (Engineering) in level 5 in pay matrix	(for considering promotion) consisting of:-
Rs.29200-92300 with six years' regular service in the	
grade.	National Sugar Institute, Kanpur
Note: Where juniors who have completed their qualifying	- Chairman
or eligibility service are being considered for promotion,	(2) Director/ Deputy Secretary,
their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by	Department of Food and Public
more than half of such qualifying or eligibility service or	Distribution
two years, whichever is less, and have successfully	- Member
completed their probation period for promotion to the next	(3) Head of Division/Section,
higher grade alongwith their juniors who have already	National Sugar Institute, Kanpur
completed such qualifying service.	- Member
Deputation (including short term contract):	2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee
Officers of the Central Government or State Governments	(for considering confirmation) consisting of:-
or Union territory Administrations or public sector	(1) Director,
undertakings or Universities or recognised research	National Sugar Institute, Kanpur
institutions or semi-Government or autonomous bodies or	- Chairman
statutory organisations,-	(2) Director/ Deputy Secretary,
i) holding analogous posts on regular basis in the parent	Department of Food and Public
adre or department; or	Distribution
ii) with six years' service in the grade rendered after	- Member
ppointment thereto on a regular basis in level 5 in the pay	(3) Head of Division/Section,
natrix Rs.29200-92300 or equivalent in the parent cadre or	National Sugar Institute, Kanpur
lepartment; and	- Member
b) possessing the educational qualifications and	
experience prescribed for direct recruits under column (7).	
Note 1: The departmental officers in the feeder category	



who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[No. A-12018/12/2010-SA] RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.िन. 103 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, उच्च श्रेणी लिपिक, केयर टेकर, अवर श्रेणी लिपिक और सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् --

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, उच्च श्रेणी लिपिक, केयर टेकर, अवर श्रेणी लिपिक और सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, उच्च श्रेणी लिपिक, केयर टेकर, अवर श्रेणी लिपिक और सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान ः पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"।
- 3. उक्त नियम की अनुसूची में, --
 - (i) क्रम संख्या 1 में, उच्च श्रेणी लिपिक पद के सामने, --

(क) स्तंभ (4) में, --

ब. शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-